


समाहरणालय, मधुबनी
(जिला योजना कार्यालय)
स्वीकृत्यादेश

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत माननीय श्री नीतीश मिश्रा के द्वारा अनुशासित योजनाओं का विस्तृत प्रतिवेदन (D.P.R) विधुत कार्यपालक अभियंता, विधुत आपूर्ति प्रमंडल, झंझारपुर से झंझारपुर विधान सभा के अंतर्गत तकनीकी प्रदत्त प्राक्कलन प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्राप्त हुआ है के आलोक में निम्नलिखित योजनाओं के नाम के सामने अंकित तकनीकी स्वीकृति की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है तथा कार्यान्वयन का दायित्व विधुत कार्यपालक अभियंता, विधुत आपूर्ति प्रमंडल, झंझारपुर को दिया जाता है। जो निम्न प्रकार है :-
वित्तीय वर्ष 2014-15 (राशि रूपये में)

क्र०	प्रखंड का नाम	योजना का नाम	तकनीकी स्वीकृति की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	मानक प्राक्कलन की राशि	उपावटित राशि कॉलम 6 का 80 प्रतिशत	योजना सं०/वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8
1	झंझारपुर	झंझारपुर प्रखंड के अंतर्गत सोहपुर (चिरकुटा टोल) में 63 के०बी०ए० का ट्रांसफार्मर का अधिष्ठापन कार्य।	207234.00	207234.00	125000.00	100000.00	25/2014-15
2	झंझारपुर	झंझारपुर प्रखंड के अंतर्गत बनौर में 63 के०बी०ए० का ट्रांसफार्मर का अधिष्ठापन कार्य।	252130.00	252130.00	125000.00	100000.00	26/2014-15
3	लखनौर	लखनौर प्रखंड के अंतर्गत बेरमा में 63 के०बी०ए० का ट्रांसफार्मर का अधिष्ठापन कार्य।	240455.00	240455.00	125000.00	100000.00	27/2014-15
4	लखनौर	लखनौर प्रखंड के अंतर्गत गंगापुर में 63 के०बी०ए० का ट्रांसफार्मर का अधिष्ठापन कार्य।	276584.00	276584.00	125000.00	100000.00	28/2014-15
5	लखनौर	लखनौर प्रखंड के अंतर्गत बिहारपुर में 63 के०बी०ए० का ट्रांसफार्मर का अधिष्ठापन कार्य।	202204.00	202204.00	125000.00	100000.00	29/2014-15
6	झंझारपुर	झंझारपुर प्रखंड के अंतर्गत सपहा टोल में 63 के०बी०ए० का ट्रांसफार्मर का अधिष्ठापन कार्य।	210114.00	210114.00	125000.00	100000.00	30/2014-15
7	झंझारपुर	झंझारपुर प्रखंड के अंतर्गत सर्वसीमा में 63 के०बी०ए० का ट्रांसफार्मर का अधिष्ठापन कार्य।	214510.00	214510.00	125000.00	100000.00	31/2014-15
8	लखनौर	लखनौर प्रखंड के अंतर्गत मनमोहन में 100 के०बी०ए० का ट्रांसफार्मर का अधिष्ठापन कार्य।	136434.00	136434.00	136434.00	109147.00	32/2014-15
कुल			1739665.00	1739665.00	1011434.00	809147.00	
कुल विमुक्ति राशि - आठ लाख नौ हजार एक सौ सैतालीस रूपये मात्र।							

- कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-02, झंझारपुर को निदेश दिया जाता है कि कॉलम 06 में अंकित राशि का 80 प्रतिशत राशि कॉलम 07 में अंकित उपावटित राशि मा० - 809147.00 रूपये मात्र विधुत कार्यपालक अभियंता, विधुत आपूर्ति प्रमंडल, झंझारपुर को राशि विमुक्ति करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। शेष 20 प्रतिशत राशि कार्य पूर्ण के उपरांत अधोहस्ताक्षरी के स्वीकृति आदेश के उपरांत विमुक्त किया जायेगा।
- कमांक 01 से 07 तक वर्णित योजना में नाम के सामने अंकित तकनीकी स्वीकृति के राशि के आधार पर प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है लेकिन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये मानक प्राक्कलन से अधिक रहने के कारण अंकित योजना में मानक प्राक्कलन के अनुसूच ही राशि उपावटित किया जाता है। इस योजना की शेष राशि राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।
- शर्त :-
1. कार्यकारी एजेंसी परियोजनाओं/योजनाओं का कार्य निविदा के माध्यम से प्राक्कलन के विशिष्टियों के अनुरूप कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे तथा इसके लिए वे पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।



2. कार्यकारी एजेंसी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजनाओं का कार्यान्वयन किसी अन्य मद से नहीं हो रहा है।
3. कार्यकारी एजेंसी कार्य स्थल पर साईन बोर्ड, कार्य प्रारंभ होने के साथ लगायेंगे जिसमें योजना मद का नाम, अभिकर्ता का नाम, योजना प्रारंभ होने की तिथि, योजना पूर्ण होने की तिथि, परियोजना/योजना की प्राक्कलित राशि एवं योजना की एकरारनामा की राशि आदि अंकित रहेंगे।
4. कार्यकारी एजेंसी परियोजना/योजना प्रारंभ किये जाने के पूर्व परियोजना/योजना स्थल का फोटोग्राफ/विडियोग्राफी करायेंगे और इसे अभिलेख में रखेंगे। एवं एक फोटोग्राफ्स जिला योजना कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
5. योजना कार्य निविदा की तिथि से 03 माह के अन्दर पूर्ण करा ली जाय।
6. कार्यकारी एजेंसी कार्य प्रारंभ होने के पश्चात प्रत्येक माह के दूसरी तारीख तक प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
7. कार्यपालक अभियंता, PWD कोड के सारें नियमों का अनुपालन करते हुए DPR (प्राक्कलन) के विशिष्टियों के अनुसार हर हालत में कार्यान्वयन करायेंगे।
8. कार्यकारी एजेंसी किसी भी हालत में निजी जमीन पर परियोजना/योजना का कार्यान्वयन नहीं करायेंगे।
9. कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता लगातार योजना का निरीक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित करेंगे एवं योजना के गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु जिम्मेवार होंगे।
10. योजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र सक्षम प्राधिकारी को भेजना सुनिश्चित करेंगे।
11. योजना के पूर्ण होने के बाद संबंधित प्रशासी विभाग को योजना के संधारण हेतु हस्थानांतरित करेंगे।
12. इस कार्यक्रम के तहत सामग्रियों एवं सेवा के कय तथा अधिप्राप्ति के मामले में बिहार वित्त नियमावली के प्राक्धानों का अनुसरण अनिवार्य होगा।
13. कार्यकारी एजेंसी संवेदक को कार्य प्रारंभ होने से पूर्व Structural Design उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
14. किसी भी योजना का Duplication नहीं हो।
15. योजना पूर्ण होने के पश्चात उपयोगिता प्रमाण पत्र मुख्य अभियंता (ग्रा0वि0) नार्थ बिहार एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना द्वारा संबंधित जिले के कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, को उपलब्ध कराया जायेगा, साथ ही उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि से पूर्व में प्राप्त राशि के शेष राशि की मांग उनके द्वारा की जायेगी।

अनुस्मृतः- 21.11.2014
क्रा 65/2014/2(74)

३०

जिला योजना पदाधिकारी,
मधुबनी।

ज्ञापक : 805 / जि0यो0,

मधुबनी, दिनांक : 28 / 10 / 2014 ई0।

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-02, झंझारपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु राशि की निकासी संबंधित कोषागार से पूर्ण प्रमाणक युक्त विपत्र BTC-25 पर की जायेगी। पूर्ण प्रमाणक विपत्र के साथ प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश, एकरारनामा के प्रति एवं कार्यकारी एजेंसी के कार्यपालक अभियंता से 80 प्रतिशत राशि का पूर्व प्राप्ति रसीद प्राप्त कर संलग्न किया जायेगा। तत्पश्चात उल्लेखित योजना के सामने अंकित 07 में उपावंटित 80 प्रतिशत राशि का डिमांड ड्राफ्ट /RTGS के माध्यम से निम्न खाता संख्या में भेजना सुनिश्चित करेंगे। जो इस प्रकार है :-

Name fo Account – NBPDCL-Diposite Work Account

SB A/C NO- 0352101042061

IFSC Code – CNRB0000352

Bank's Name- Canara Bank, South Gandhi Maidan Branch, Patna and

Bank Draft के माध्यम से – North Bihar State Power Distribution Company Limited

Payable at patna के स्थानीय विधुत कार्यपालक अभियंता को राशि भेजी जायेगी।

३

- प्रतिलिपि :- विधुत कार्यपालक अभियंता, विधुत आपूर्ति प्रमंडल, झंझारपुर डिमांड ड्राफ्ट/RTGS प्राप्ति रसीद की छायाप्रति स्थानीय कार्यलय से प्राप्त कर स्वीकृत प्राक्कलन के प्रति के साथ मुख्य अभियंता (ग्रा0वि0) एन0वी0पी0डी0सी0एल0, पटना को मनी रसीद निर्गत करने हेतु भेजा जाय।
- प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, मधुबनी को सादर सूचनार्थ समर्पित।
- प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, झंझारपुर/प्रखंड विकास पदाधिकारी, झंझारपुर/लखनौर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अप्त सचिव, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि माननीय मंत्री महोदय को संसूचित करने की कृपा की जाय।

जिला योजना पदाधिकारी,
मधुबनी।
24/1/24